छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा प्रथम सत्र अंक-07

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 4 फरवरी, 2014

(माघ-15, शक संवत 1935)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 10 (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 6 तारांकित एवं 24 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 10 की चर्चा के दौरान श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा उसकी सहायक कंपनियां-

(1) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड,

(2) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड,

(3) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,

(4) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011, तथा

(2) श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम (क्रमांक 25 सन् 2004) की धारा 34 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय,भिलाई का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 **पटल पर रखे।**

4. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 3 फरवरी, 2014 की निम्नांकित सिफारिशों से सदन को अवगत कराया :-

समिति द्वारा निम्नलिखित वित्तीय कार्य हेतु समय निर्धारित किया गया :-

	वित्तीय कार्य		**समय**
	वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक से संबंधित मंत्रियों के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा हेतु निम्नानुसार समय का निर्धारण किया गया है :-		
(1)	डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री	-	03 घंटे
(2)	श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री	-	03 घंटे
(3)	श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री	-	02 घंटे 30 मिनट
(4)	श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री	-	02 घंटे 30 मिनट
(5)	श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य मंत्री	-	02 घंटे 30 मिनट
(6)	श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री	-	02 घंटे 30 मिनट
(7)	श्री राजेश मूणत, लोक निर्माण मंत्री	-	02 घंटे 30 मिनट

(8)	श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री	-	02 घंटे 30 मिनट
(9)	श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री	-	02 घंटे
(10)	श्रीमती रमशिला साहू, महिला एवं बाल विकास मंत्री	-	02 घंटे

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि बुधवार, दिनांक 12 फरवरी, 2014 से सोमवार, दिनांक 24 फरवरी, 2014 तक भोजन अवकाश नहीं होगा तथा इस अवधि में सभा की बैठकें रात्रि 7.00 बजे तक होंगी।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री संतोष बाफना, सदस्य ने बस्तर संभाग के जिला चिकित्सालयों में चिकित्सकों तथा स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री उमेश पटेल, सदस्य ने बिलासपुर एवं रायगढ़ जिले में वन्य प्राणियों की मौत होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. बहिर्गमन

ध्यानाकर्षण क्रमांक 2 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

7. नियम 267-क के अधीन विषय

(1). श्री रामदयाल उईके, सदस्य ने आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत शालाओं में कार्यरत स्वीपरों को वेतन का भुगतान न किये जाने,

(2). श्री संतोष बाफना, सदस्य ने बिजली बिल के नाम पर लूट की जाने संबंधी, एवं

(3). श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने फिजियोथैरेपी काउंसिल के अधिनियम बनाये जाने संबंधी, **शून्यकाल की सूचना पढ़ी।**

अपराह्न 12.41 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनाँक 5 फरवरी, 2014 (माघ 16, शक संवत् 1935) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा